संख्या-73/2017/806/71-1-2017-जी-51/2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 12 अप्रैल, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व मद में राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) के लिए धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2016-17/1175, दिनॉक 06-04-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व मद में राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के वेतनादि एवं आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) के लिए संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक-2210-राजस्व लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 3,26,27,61,000/- (रू0 तीन अरब छब्बीस करोड़ सत्ताइस लाख इकसठ हजार मात्र) एवं 4210-पूंजी लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 65,05,000/- (रू0 पैसठ लाख पॉच हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 3,26,92,66,000/- (रू0 तीन अरब छब्बीस करोड़ बानबे लाख छाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनॉक 02-01-2017 व शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20-03-2017 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनॉक 02-01-2017 व शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20-03-2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 73/2017/806(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र, इलाहाबाद।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, आजमगढ़, बाँदा।
5- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, आजमगढ़, बाँदा।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, आजमगढ़, बाँदा।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।